फर्द अहकाम

न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम केसेज (सैशन न्यायाधीश) दौसा

उनवान : केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर बनाम सुन्दरलाल आदि

किस्म मुकदमा : सैशन प्रकरण संख्या–18 / 2025

सीएनआर नंबर : RJDS010004532025

(एफआईआर नंबर 04 / 2024 सी.बी.एन. जयपुर अंतर्गत धारा 8 / 21, 22 व 29 एनडीपीएस एक्ट)

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
04.08.2026	श्री कमलेश कुमार बोहरा, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से उपस्थित। अभियुक्तगण नवीन टेलर व सुन्दरलाल शर्मा न्यायिक अभिरक्षा से असालतन मय विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा उपस्थित। अभियुक्त संदीप कुमार सैनी न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित नही, इसका केवल न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट पेश हुआ। श्री आनन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संदीप की ओर से उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में गवाह रंजेश शुक्ला पी. डब्ल्यू 07 की साक्ष्य लेखबद्ध की गई, जिसमें गवाह का मुख्य परीक्षण पूर्ण हुआ तथा न्यायालय समय तंग होने से गवाह से जिरह पूर्ण नही हो सकी। गवाह की शेष जिरह आगामी पेशी के लिए रिजर्व रखी गई। गवाह रंजेश शुक्ला को आगामी पेशी दिनांक 17.08.2026 को समय सुबह 10:00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। गवाह रंजेश शुक्ला आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित रहे। दौराने साक्ष्य प्रकरण में पेश किया गया माल (वजह सबूत) बाद साक्ष्य श्री विपुल परमार, हवलदार, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर को बाद प्राप्ति रसीद सुपुर्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 17.08.2026 को पेश हो। तब तक तीनों अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा अवधि अधिकृत की जाती है। 4/8/2026 न्यायाधीश दौसा (राज.)	सुन्दरलाल नवीन (वजह सबूत) Vipul 04/08/2026

सैशन ... दौसा (राज.)
4/8/2026